



Hindi

जून
2016

राखी (रक्षाबंधन)

जैव-सुरक्षा



जैव-सुरक्षा सम्बंधी महत्वपूर्ण जानकारी

विदेशों से आने वाली ख़ाद्य वस्तुओं, पौध-सामग्रियों एवं जीव-जंतुओं से प्राप्त उत्पादों के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के कुछ अत्यंत हानिकारक कीटाणु और रोग दाखिल हो सकते हैं। इनसे हमारी मूल्यवान कृषि, पर्यटन उद्योग और अनूठे पर्यावरण को नुकसान पहुँच सकता है।

देश या विदेश में – ऑस्ट्रेलिया की स्वच्छ और स्वास्थ्यप्रद ख़ाद्य-आपूर्ति को बनाए रखने में कृषि एवं जल संसाधन विभाग राज्य एवं प्रादेशिक सरकारों, उद्योग और समुदाय के साथ मिलकर कार्य करता है। ऑस्ट्रेलिया की जैव-सुरक्षा प्रणाली देश के अन्दर अवांछित कीटाणुओं और रोगों के दाखिल होने के जोखिम को कम करके मानव, जीव-जंतु एवं पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। सुदृढ़ जैव-सुरक्षा प्रणाली का लाभ हर किसी को मिलता है, इसलिए इसमें हर किसी को भूमिका निभानी होती है।

यदि राखी के अवसर पर आपको डाक के माध्यम से उपहार आने की उम्मीद है तो यह सुनिश्चित कर लेना महत्वपूर्ण है कि विदेश में रहने वाले आपके परिवार के लोग ऑस्ट्रेलिया के सख्त जैव-सुरक्षा कानूनों से अवगत हों।

ऑस्ट्रेलिया में जैव-सुरक्षा की दृष्टि से जोखिमपूर्ण सामग्रियों का प्रवेश हम कैसे रोकते हैं

डाक से आने वाली जिन सामग्रियों में जैव-सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम भरी वस्तुएं होती हैं उनका मूल्यांकन कृषि एवं जल संसाधन विभाग के जैव-सुरक्षा अधिकारियों द्वारा एक्सरे, खोजी कुत्तों और मैनुअल निरीक्षण के माध्यम से किया जाता है।

राखी के वे उपहार जिनसे जैव-सुरक्षा जोखिम उत्पन्न हो सकता है

जैव-सुरक्षा जोखिम उत्पन्न कर सकने वाले राखी उपहारों (जिनमें जंतु या पौध-सामग्री हों) शामिल हैं:

- बीजों या फूल-पत्तियों से बने हुए राखी के धागे
- दूध से बनी पारंपरिक भारतीय मिठाइयां जैसे बरफी, मैसूर पाक, गुलाबजामुन, रसगुल्ला, पेड़ा या सोनपापड़ी
- अनाज और सूखे मेवे।

वे राखी उपहार जिन्हें ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने की अनुमति है

ऐसे वैकल्पिक उपहार भेजकर जिनसे जैव-सुरक्षा जोखिम उत्पन्न न होता हो, हमें कीटाणुओं और रोगों से ऑस्ट्रेलिया को बचाए रखने में सहायता दें:

- प्लास्टिक, फैब्रिक, सोने या चांदी के बीड्स वाले राखी के सूती धागे
- सोने या चांदी के सिक्के
- निजीकृत फोटो इत्यादि
- कृत्रिम फूल।



कैसे सुनिश्चित करें कि आपके राखी उपहार समय पर पहुंच जाएं

राखी के आपके उपहार समय पर पहुंच जाएं यह सुनिश्चित करने के लिए, कृपया ऐसे उपहार भेजें जिनसे जैव-सुरक्षा जोखिम उत्पन्न न होता हो। यदि आपके उपहार से जैव-सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न होता हो और उसके परिशोधन की जरूरत हो तो आपको परिशोधन का व्यय वहन करने का विकल्प दिया जा सकता है और उपहार आपको भेजे जाने में कई सप्ताह लग सकते हैं। यदि परिशोधन का कोई विकल्प नहीं है तो उपहार को ऑस्ट्रेलिया में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाएगा और आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी।



1800 900 090 पर संपर्क करें
(ऑस्ट्रेलिया में फ्री कॉल, अंग्रेजी में)

ऑस्ट्रेलिया से बाहर से +61 3 8318 6700



और अधिक जानकारी के लिए:
agriculture.gov.au/travelling-mailing

agriculture.gov.au